

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1387]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 2017/वैशाख 26, 1939

No. 1387]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 2017/VAISAKHA 26, 1939

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2017

का.आ. 1570(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) (जिसे इसके पश्चात् 'संहिता' कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 01 अप्रैल, 2017 को इस संहिता के स्वैच्छिक समापन या शोधन अक्षमता से संबंधित संहिता की धारा 2 के खंड (क) से खंड (घ) तक के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख नियुक्त करती है।

[फा. सं. 30/7/2016-इंसोल्वेंसी अनुभाग]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

स्प्ष्टीकरण ज्ञापनः

इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देते हुए यह प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त करना प्रकृति में पूर्णतया प्रक्रियात्मक है।

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2017

**S.O. 1570(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) (hereinafter referred to as the 'Code'), the Central Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> April, 2017 as the date on which the provisions of clause (a) to clause (d) of section 2 of the Code relating to voluntary liquidation or bankruptcy shall come into force.

[F. N. 30/7/2016-Insolvency Section]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum: By giving retrospective effect to this notification, it is certified that no one is being

adversely affected and giving retrospective effect to this notification is purely

procedural in nature.

3164 GI/2017